न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी ममता कुमारी तिवारी, आर.ए.एस.)

दायरा दिनांक : 11.10.2017

अपील संख्या 2017/00291

उनवान

1– रामकरण आत्मज श्री जगन्नाथ, जाति मीना, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबडा, जिला बारां (राज.)
2– मुस0 राममूर्ति पुत्री श्री जगन्नाथ, जाति मीना, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबडा, जिला बारां (राज.)
3– मुस0 कैलाशी पुत्री श्री जगन्नाथ, जाति मीना, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबडा, जिला बारां (राज.)
4– मुस0 राधा बाई पुत्री श्री जगन्नाथ, जाति मीना, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबडा, जिला बारां (राजस्थान)
5– मुस0 दोली बाई बेवा श्री जगन्नाथ, जाति मीना, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबडा, जिला बारां (राजस्थान)
.... अपीलांट

बनाम

1– रूघनाथ पुत्र लालजी राम, जाति मीणा, निवासी भीलवाडी, तहसील छबडा, जिला बारां (राज0)
2– मिश्रीलाल पुत्र लालजी राम, जाति मीणा, निवासी भीलवाडी, तहसील छबडा, जिला बारां (राज0)
3– मोतीलाल पुत्र लालजी राम, जाति मीणा, निवासी भीलवाडी, तहसील छबडा, जिला बारां (राज0)
4– मुस0 कैलाशी पुत्री लालजी राम, जाति मीणा, निवासी भीलवाडी, तहसील छबडा, जिला बारां (राजस्थान)
5– मुस0 रूकमणी पुत्री लालजी राम, जाति मीणा, निवासी भीलवाडा नीचा, तहसील छबडा, जिला बारां (राजस्थान)
6– उप पंजीयक अधिकारी, तहसील छबडा, जिला बारां
7– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा, जिला बारां
.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री विद्याशंकर गोस्वामी अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

दिनांक : 21.05.2024

निर्णय

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा के प्रकरण संख्या 285/2006 निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2015 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंटगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम भिलवाडी, तहसील छबडा में भूमि खसरा नम्बर 61 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा अवस्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबडा ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2015 से वादीगण का वाद आंशिक खारिज करते हुए आदेशित किया कि आवंटन कमेटी के समक्ष प्राथमिकता से नियमन/आवंटन सम्बन्धित कार्यवाही की जावे जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध एवं न्याय संचिका में निहित तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली में निहित तथ्यों एवं साक्ष्यों का भलीभांति अवलोकन न कर अपीलांट खातेदारान के विरूद्ध फाइडिंग देते हुए वादीगण का वाद आंशिक खारिज करने का आदेश देने व आवंटन कमेटी के समक्ष प्राथमिकता के आधार पर नियमन व आवंटन से संबंधित कार्यवाही खारिज करने का आदेश पारित करने में भारी विधिक त्रुटि की है। विवादित भूमि पर खातेदारी व कब्जे के संबंध में राजस्व रेकार्ड में अपीलांट के पक्ष में स्पष्ट पोजीशन विद्यमान होते हुऐ भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझ कर विवादित भूमि के संबंध में आवंटन कमेटी के समक्ष प्राथमिकता से आवंटन की कार्यवाही करने का आदेश पारित करने व अपीलांट के विरूद्ध डिकी जारी करने में भारी भूल की है। रेस्पोडेंट कम 1 लगायत 5 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि के संबंध में मात्र एडवर्स पजेशन के आधार पर घोषणा की डिक्री व स्थायी निषधाज्ञा की डिकी मांगी गई थी जो खातेदार व कब्जाधारी अपीलांट के विरूद्ध किसी भी प्रकार से दी जाना संभव नहीं थी इसी आधार पर रेस्पोडेंट का केस (दावा) खारिज किया जाना चाहिए था, किन्तु सभी तथ्यों की मौजूदगी होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझ कर रेस्पोडेंट का वाद आंशिक खारिज करने में त्रुटि की है। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण (अपी०) द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश करने के बाद नियमानुसार तनकी कायम की जाना चाहिए थी तद्परान्त तनकीयात के मुताबिक दोनों पक्षों की मौखिक व साक्ष्य दस्तावेजात की साक्ष्य रेकार्ड करने के पश्चात तनकीवाईज निर्णय पारित करना चाहिए था किन्तु

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आर्डर 20 नियम 5 सी.पी.सी. के आवश्यक सिद्वान्तों का उल्लंघन करते हुए निर्णय व डिक्री पारित न कर मनमाने तरीके से निर्णय पारित करने में भारी विधिक त्रुटि की है। प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों को मध्यनजर रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय को प्रस्तुत प्रकरण में निर्णय पारित करना चाहिए था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी सिद्वान्तों को ताक में रखते हुए अविवेक तरीके से निर्णय व डिक्री पारित करने में भारी विधिक त्रुटि की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलांटान स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2015 निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 20.09.2017 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222 बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के प्रावधानों की पालना नहीं की है। अधीनस्थ न्यायालय ने हमारे काउंटर क्लेम के सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित नहीं किया है।

हमने अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका एवं दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 22.05.2007 में प्रतिवादी द्वारा जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश होने का उल्लेख है। काउंटर क्लेम का जवाब उल जवाब भी पेश हुआ तथा पत्रावली में तनकीयात की कायम की गई, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.12.2015 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त निर्णय में प्रतिवादी के काउंटर क्लेम का निर्णय नहीं किया गया, जबकि निर्णय में दावा वादी तथा काउंटर क्लेम प्रतिवादी का फैसला होना चाहिए था जो काउंटर क्लेम प्रतिवादी का निर्णय नहीं करना त्रुटिपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.02.2011 के अनुसार तनकीयात कायम की गयी लेकिन निर्णय तनकीयात के आधार पर नहीं किया गया जो त्रुटिपूर्ण है। अतः हमारी राय में अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में सी.पी.सी. के आज्ञापक प्रावधानों की पालना नहीं होने से उक्त निर्णय खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.12.2015 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये, तनकीयात के आधार पर पुनः नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें तथा प्रतिवादी के काउंटर क्लेम का भी निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.07.2024 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

21/5/24

(ममता कुमारी तिवारी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा